>

Title : Motion regarding 3rd Report of Business Advisory Committee (Motion Adopted).

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): I beg to move:

"That this House do agree with the Third Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 16th July, 2009."

MADAM SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Third Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 16th July, 2009."

The motion was adopted.

MADAM SPEAKER: Now we will take up matters of urgent public importance, 'Zero Hour'.

...(*Interruptions*)

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं एक प्वाइंट ऑफ आर्डर कहना चाहता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अभी नहीं। अभी सुषमा स्वराज जी बोलेंगी।

â€¦(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदया, इन्होंने प्वाइंट ऑफ आर्डर उठाया है।

अध्यक्ष महोदया : आप बताइए, क्या प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : कॉलिंग अटैंशन में पांच प्रश्न पूछ सकते हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बताएं कौन सा नियम है?

â€¦(व्यवधान)

श्री रेवती रमन सिंह : महोदया, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर पहले पांच क्वैश्चंस अलाऊ होते थे।

अध्यक्ष महोदया : नियम बताइये।

श्री रेवती रमन सिंह : हम बता रहे हैं, आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर दिखवा लीजिए कि पहले की प्रोसीडिंग्स में पांच प्रश्न अलाऊ होते थे। जो मेन क्वैश्चन पूछने वाले हैं, उनके अलावा पांच प्रश्न अलाऊ होते थे। इसलिए आपसे इस पर रूलिंग चाहता हूं कि क्या वह नियम बदल गया है?

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, नियम बताइए । हम वह रूलिंग दे देंगे। श्रीमती सुषमा स्वराज, आप बोलिये।

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Madam, now the time for making special mentions under `Zero Hour' notices is from

8.30 a.m. to 9.30 a.m. It should be reviewed. It should be from 9 a.m. to 9.30 a.m.

अध्यक्ष महोदया : आप बैठिये।